



मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN: L34103DL1981PLC011375

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, भारत

फोन: +91 (11) 46781000, फैक्स: +91 (11) 46150275 / 46150276

www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

सामान्य सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की उप-धारा (2) के खण्ड 201 उपवाक्य (ख) के अनुसरण में कंपनी आगामी आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले पारिश्रमिक एवं नियम व शर्तों के अधीन **तीन वर्षों की अवधि के लिए 28 अप्रैल, 2021 से श्री हिसाशी ताकेउचि को पूर्णकालिक निदेशक जो संयुक्त प्रबंध निदेशक (व्यावसायिक) के रूप में पदनामित**, की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 196, अनुसूची-5 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो के अंतर्गत अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने की इच्छुक है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 10.06.2021

संजीव ग्रोवर
उप-अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

F3788



मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN: L34103DL1981PLC011375

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, भारत

फोन: +91 (11) 46781000, फैक्स: +91 (11) 46150275 / 46150276

www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

सामान्य सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की उप-धारा (2) के खण्ड 201 उपवाक्य (ख) के अनुसरण में कंपनी आगामी आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले पारिश्रमिक एवं नियम व शर्तों के अधीन **तीन वर्षों की अवधि के लिए 28 अप्रैल, 2021 से श्री शिगेतोशी तोरी को पूर्णकालिक निदेशक जो संयुक्त प्रबंध निदेशक (उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला) के रूप में पदनामित**, की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 196, अनुसूची-5 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो के अंतर्गत अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने की इच्छुक है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 10.06.2021

संजीव ग्रोवर
उप-अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

F3788